

2025/10493

प्राचीन सेवा विवर-2025

राजस्थान सरकार

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर (सीकर)

क्रमांक / रीडर / 2025 / 362

दिनांक 06/10/2025

उपवानी प्रकरण - शालाजाम बनाम मुकियारी तहसीलदार
प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एलओ आरओ एक्ट, 1956
मुकदमा संख्या 141/2025

-: दुरुस्ती का राजस्व रिकार्ड में अंकन करने का आदेश :-

उपर्युक्त विषयानुसार स्पष्ट है कि तहसीलदार श्रीमाधोपुर ने जारी पत्रक
04 / मूअ. / 2025 दिनांक 25/09/2025 के द्वारा राजस्थान नु राजस्व अधिनियम, 1956
की धारा - 136 के अन्तर्गत गिजवाये गये राजस्व ग्राम फुहाला पटवारी हल्का फुहाला
तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर के गृम खाता संख्या 640 में खातेदार मालु पुत्र
कालु जाति अहीर के स्थान पर शालाजाम पुत्र काधुराम जाति अहीर का
नाम दुरुस्त किये जाने के आदेश जारी किये गये है। पटवारी हल्का फुहाला
उपरोक्त आदेशानुसार राजस्व रिकार्ड में दुरुस्ती कर पालना रिपोर्ट एक माह में इस
कार्यालय को गिजवाया जाना सुनिश्चित करावे।



उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

क्रमांक / रीडर / 2025 / 3622-23

दिनांक 06/10/2025

प्रतिलिपि :- निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ:-

1. तहसीलदार श्रीमाधोपुर (सीकर) को सूचनार्थ।
2. पटवारी हल्का फुहाला तहसील श्रीमाधोपुर को पालनार्थ।


उपखण्ड अधिकारी
(अनिल कुमार)
श्रीमाधोपुर (सीकर)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

